रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15072020-220525
CG-DL-E-15072020-220525

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2062] **नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 14, 2020/ आषाढ़ 23, 1942**
No. 2062] **NEW DELHI, TUESDAY, JULY 14, 2020/ASADHA 23, 1942**

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2020

का. आ. 2339(अ).— केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 41 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं0 का.आ. 444(अ), तारीख 12 जून, 1989 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

1. उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में, तीसरे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :--

“परंतु यह भी कि सभी मामलों में, अक्षर और अंक परावर्तक रंगों से लिखे होंगे और,--

(क) अस्थायी रूप से रजिस्ट्रीकृत मोटर यानों की दशा में, पीली पृष्ठभूमि पर लाल रंग में दर्शाएं जाएंगे ;

(ख) डीलरों के कब्जे में मोटर यानों की दशा में, लाल पृष्ठभूमि पर सफेद रंग में दर्शाएं जाएंगे।”।

2. उक्त अधिसूचना में पैरा 2 के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“2क. नीचे सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित यानों के वर्ग का, नीचे सारणी के स्तंभ (3) और स्तंभ (4) में उल्लिखित वर्णानुक्रम संख्यांक रंग तथा पृष्ठभूमि रंग होगा :--

सारणी

क्र.सं.	यान का वर्ग	वर्णानुक्रम संख्यांक रंग	पृष्ठभूमि रंग
1.	गैर परिवहन	काला	सफेद
2.	परिवहन	काला	पीला
3.	किराए पर कैब के अंतर्गत परिवहन यान	पीला	काला
4.	किराए पर कैब के अंतर्गत परिवहन यान (बैटरी प्रचालित)	काला	हरा
5.	बैटरी प्रचालित यान गैर परिवहन	सफेद	हरा
6.	बैटरी प्रचालित यान परिवहन	पीला	हरा
7.	राजनयिक कौंसलीय/डिप मिशन	सफेद	गहरा नीला
8.	कौंसलीय पद ("सीसी"/ "यूएन"/ "आईओसी" अक्षर वाले रजिस्ट्रीकरण चिन्ह)	पीला	गहरा नीला
9.	राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद का स्वदेश स्थित गैर राजनयिक पदाधिकारी ("सीडी"/ "यूएन"/ "आईओडी" अक्षर वाले रजिस्ट्रीकरण चिन्ह)	सफेद	हल्का हरा
10.	अस्थायी रजिस्ट्रीकरण वाला यान	लाल	पीला
11.	डीलरों के कब्जे में यान	सफेद	लाल

3. यह अधिसूचना राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी ।

[फा. सं. आर.टी.-11036/09/2020-एमवीएल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 444(अ) तारीख 12 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसका अंतिम संशोधन का.आ. 295(अ), तारीख 22 जनवरी, 2020 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 2020

S.O. 2339(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport number S.O.444(E), dated the 12th June, 1989, namely:-

1. In the said notification, in Paragraph 2, for third proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

"PROVIDED ALSO that in all cases the letters and figures shall be painted in reflecting colours and shall be shown,-

(a) in the case of motor vehicles temporarily registered, in red on yellow ground;

(b) in the case of motor vehicles in the possession of dealers, in white on a red ground.”.

2. In the said notification, after Paragraph 2, the following Paragraph shall be inserted, namely:-

“2A. Class of vehicles mentioned in column (2) of the Table below shall have the Alpha numeric colour and Background colour mentioned in columns (3) and (4) of the Table below.

TABLE

S. No.	CLASS OF VEHICLE	ALPHA NUMERIC COLOUR	BACK GROUND COLOUR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Non Transport	Black	White
2.	Transport	Black	Yellow
3.	Transport Vehicles under Rent- a- Cab	Yellow	Black
4.	Transport Vehicles under Rent- a- Cab (Battery Operated)	Black	Green
5.	Battery Operated Vehicle Non Transport	White	Green
6.	Battery Operated Vehicle Transport	Yellow	Green
7.	Diplomat consular/ Dip Mission	White	Deep Blue
8.	Consular Post(registration mark consisting of Letter “CC”/ “UN”/ “IOC”)	Yellow	Deep Blue
9.	Home Based non diplomatic Official of diplomatic mission or consular post (registration mark consisting of Letter “CD”/ “UN”/ “IOD”)	White	Light Green
10.	Vehicles with Temporary Registration	Red	Yellow
11.	Vehicles in Possession of Dealers	White	Red

3. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette

[F. No. RT-11036/09/2020-MVL]
PRIYANK BHARTI, J. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part – II, Section (3), Sub-section (ii) vide S.O. 444(E), dated the 12th June, 1989 and was last amended *vide* S.O. 295(E), dated the 22nd January, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.07.15 21:05:25 +05'30'